राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल सं. 24/38/Misc./Har./2018/ईएसडीडब्ल्यू

दिनांक 10.09.2018 सुनवाई कार्यवृत

श्री विनय सिंह, उपायुक्त, सोनीपत, हरियाणा, व प्रार्थी श्री जय किशन एवं अन्य सुनवाई में उपस्थित थे ।

प्रार्थियों ने सूचित करा कि गत 15.05.2018 की सनुवाई की संस्तुतियों पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है। लगभग 463 लोगों के घर जो नाले किनारे बने हैं उनको हटाने का नोटिस सरकार द्वारा दिया गया है। गत सुनवाई में प्रार्थियों ने नाले हेतु 70 फीट चौड़ा स्थान स्वेच्छा से छोड़ने व 70 फीट के भीतर बने घरों के भाग स्वयं हटवाने का आश्वासन दिया था । जिलाधिकारी ने सूचित करा कि नाले के लिए 70 फीट स्थान छोड़ने के बाद इन प्रार्थियों को अपने मकान में रहने की अनुमति देने का अधिकार सचिव, Urban Local Bodies, हरियाणा का है। जिलाधिकारी 10 दिन में शासन को इस हेतु प्रस्ताव भेजकर उस पर सहानुभुतिपूर्वक अनुमोदन मांगेगे व 70 फीट की मार्किंग/ marking भी करवा देगें ।

आयोग की अपेक्षा है कि सचिव, Urban Local Bodies, हरियाणा इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए अपना अनुमोदन शीघ्र देगें चूंकि इस प्रस्ताव से समस्या का हल निकल सकता हे। वर्षो से रह रहे लोग विस्थापित भी नहीं होगें व शासकीय कार्य / नाला बनाने / ढकने का काम भी पूर्ण हो सकेगा ।

अगली सुनवाई में जिलाधिकारी सहित सचिव, Urban Local Bodies भी कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित रहेंगे ।

(प्रो.(डॉ.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग